न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर R.A.S.

प्रकरण संख्या : 3/2018 राजस्व अपील

उनवान

1. भंवर सिंह भाटी पिता राधाकिशन भाटी उम्र 57 वर्ष निवासी बबराणा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा हाल निवासी कुम्भा सर्कल के पास आजाद नगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा

—— अपीलार्थी

बनाम

1 ग्राम पंचायत बबराणा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच
2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
3 घीसू पिता गीलु दरोगा उम्र वयस्क निवासी बबराणा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4 भगवानी पुत्री गीलु दरोगा उम्र वयस्क निवासी बबराणा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5 श्रीमति मांगी देवी पत्नि उगमलाल जाट उम्र वयस्क निवासी खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6 स्टेट बेंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सरदारनगर तहसील बनेडा जरिये शाखा प्रबन्धक

——रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामा. संख्या 1091 आदेश दिनांक 20–04–2006 ग्राम पंचायत बनेडा

उपस्थित –

1. श्री अरूण चन्द्र देराश्री.....अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित
2. पैराकार सरकार.....प्रत्यर्थी कम 02

निर्णय

दिनांक – 20.03.2018

अपील के संक्षेप तथ्य यह है कि ग्राम बबराणा, पटवार मण्डल बबराणा स्थित खतौनी संख्या 322 के आराजी संख्या 1269 रकबा 00–03 बिस्वा, खतौनी संख्या 321 के आराजी संख्या 1270, 1271, कुल किता 02 कुल रकबा 03–17 बीघा, एंव खतौनी संख्या 320 के आराजी संख्या 1292/1, 1293/1 कुल किया 02 कुल रकबा 01–17 बीघा स्थित है जिसमें अपीलार्थी के पिता राधाकिशन पिता रामलाल दरोगा के देहान्त उपरान्त विरासत से विपक्षी संख्या 01 ग्राम पंचायत बबराणा द्वारा जरिये इन्तकाल संख्या 1091 से विवादित आराजीयात का विरासत से नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में खोला गया, किन्तु सेहवन से अपीलार्थी का नाम भंवर सिंह के स्थान पर भंवरलाल दर्ज कर दिया गया। जबकि भंवल लाल एंव भवंर सिंह एक ही व्यक्ति होकर भंवरलाल नाम का श्री राधाकिशन के अन्य कोई पुत्र नही है। अपीलार्थी के पैन कार्ड,

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

जिसमें अपीलार्थी का नाम भंवरसिंह पिता राधाकिशन अंकित है। इस प्रकार अपीलार्थी के पिता की मृत्यूपरान्त ग्राम पंयायत बबराणा द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 1091 दिनांक 20.04.2006 में अपीलार्थी का नाम भंवर सिंह पिता राधाकिशन के स्थान पर भंवरलाल पिता राधाकिशन त्रूटीपूर्ण दर्ज करा, नामान्तकरण फैसल कर दिया गया। जो कि विधि विरूद्ध होकर नामान्तकरण अपास्त योग्य है।

उक्त तथाकथित नामान्तरकरण की जानकारी होते ही अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 18.01.2018 को विधिवत नकल प्राप्त की गई तथा जानकारी होते ही यह अपील अविलम्ब प्रस्तुत की गई है। किन्तु फिर भी सम्भाव्य तौर पर विलम्बित अवधि के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रा.पत्र प्रस्तुत कर क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। प्रा.पत्र की ताईद में शपथपत्र भी पेश हुआ। जिसका कोई ठोस खण्डन अभिलेख पर नहीं होने तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का प्रा.पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर विलम्बित अवधि क्षम्य की जाती है।

प्रकरण को दिनांक 24.01.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स की तलबी की गई। दिनांक 20.03.2018 को प्रत्यर्थीगण सुचित होने बावजूद नियत सुनवाई पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये, प्रकरण के शीघ्र निस्तारण की भावना से प्रेरित होकर अपीलार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस करना चाहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई।

उपस्थित अभिभाषक को सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपनी और से प्रस्तुत बहस में कथन कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पिता की मृत्यूपरान्त ग्राम पंयायत बबराणा द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 1091 दिनांक 20.04.2006 में अपीलार्थी का नाम भंवर सिंह पिता राधाकिशन के स्थान पर भंवरलाल पिता राधाकिशन त्रूटीपूर्ण दर्ज करा, नामान्तकरण फैसल कर दिया गया। जो कि कानूनन तौर पर विधि विरूद्ध होने से नामान्तरकरण अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजात, आधार राजस्व अभिलेखों का अध्ययन/परीक्षण किया व अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। हम अपीलार्थी पक्ष के इस तर्क से सहमत है कि अपीलार्थी के बिना जानकारी अपीलार्थी की पहचान सम्बन्धी जांच किये, उनके वास्तविक नाम भंवरसिंह पिता राधाकिशन के स्थान पर भंवरलाल पिता राधाकिशन का त्रूटीपूर्ण अंकन, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेखो में अपीलार्थी के बिना जानकारी के दर्ज कराने का वैधानिक अधिकार नही था। जो कि कानूनन तौर गलत है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप तथ्यो के सूक्ष्म परीक्षण उपरान्त तथा आधार अभिलेखों के अध्ययन व परिक्षण पश्चात, विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त तथ्यो एंव परिस्थितियों को मध्यनजन रखते हुए अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

: : आदेश : :

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा. संख्या 1091 आदेश दिनांक 20–04–2006 ग्राम पंचायत बबराणा को अपास्त किया जाता है। प्रकरण में पारित निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है कि तहसीलदार अपीलार्थी की पहचान सम्बन्धी जांच कर, उनके वास्तविक नाम के समुचित साक्ष्य दस्तावेजी के अध्ययन/परिक्षण उपरान्त ही 3 माह की समयावधि में नवीन निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 20.03.2018 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित हो।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

क्रमांक/प्रकरण संख्या/अपील एलआर/3/2018 दिनांकः 20.03.2018

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो ।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)